

24/8/24

पत्रावली पेश है वकील उमरपत्र अनुपस्थित।  
वकील पत्रकारों को रुक-रुक कर आवर्तित  
भगति मात्री। दृष्टि दूरी है। लिहाजा प्रार्थना  
पत्र प्रावर्तित वकील उमरपत्र की अफस  
दाजरी - अफस पेशी में अरिज किया जाता है।  
तथा न्यायालय द्वारा अस्वार्थ निर्पेक्षा है। पत्रावली  
09.07.2015 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली  
पत्रावली में शुभल होकर हाथिल हस्ताक्षर है।

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

